बन्दोवस्त कार्यालय, खगड़िया

पत्रांक– 28-II / एस0एस0, दिनांक–19-1-15

प्रेषक,

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी,
मुख्यालय, खगड़िया।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी
N.I.C.,खगड़िया।

विषय :– संशोधित विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि खगड़िया जिलाा के बेबसाईट पर प्रकाशित विज्ञापन में दिनांक छुट गया है। संशोधित विज्ञापन का पत्र दिया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन (बिना तिथि वाले) को निरस्त करते हुए नये सिरे से नये तिथि वाला विज्ञापन प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

19/1/15

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, (मु0)
बन्दोवस्त कार्यालय खगड़िया।

19/01/15
Time- 2:20PM

15

बन्दोवस्त कार्यालय, खगड़िया

प्रेस विज्ञापन

बिहार विशेष भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त कार्य को सम्पादन किये जाने के लिए बन्दोवस्त कार्यालय, खगड़िया में 100 उजरत भोगी अमीन का चयन किया जाना है। चयनित अमीन का पारिश्रमिक का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित उजरत दर पर किया जायेगा। उजरत के आधार पर अमीनों के चयन हेतु परिशिष्ट "क" में स्थित विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

1. विहित प्रपत्र में पूर्ण रुप से भरा गया आवेदन पत्र राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, तकनिकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, फोटो के साथ निबंधित डाक से या सीधे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राकाशन के तिथि से दिनांक 30.01.15 तक प्रेषित किया जाना है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार या कारवाई नहीं की जायेगी। साक्षात्कार की तिथि 20.02.15 है।

2. योग्यता :-
   (क) दिनांक 30.01.15 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए।
   (ख) अमानत उत्तीर्ण।
   (ग) अमानत कार्य का अनुभव।
   (घ) सेवा निवृत अमीन का चयन प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी, वशर्ते उनकी उम्र 65 वर्ष के अन्दर हो।
   (ङ) चकबन्दी निदेशालय/भू-अभिलेख एव परिमाप निदेशालय के छटनी ग्रस्त दैनिक वेतन भोगी अमीन/उजरत भोगी अमीन को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

3. मानदेय :- उजरत तथा कार्य के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कार्य लिया जायेगा। कार्य समाप्ती के उपरान्त चयन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

4. उजरत के आधार पर चयनित अमीन अपने दायित्वों का निर्वहन विधिवत व नियमानुसार नहीं करते हैं। कदाचार में पाये जाते है, या कार्य क्षमता के अभाव की स्थिति में उनकी सेवा बिना किसी कारण पृच्छा के समाप्त कर दी जायेगी।

5. उजरत भोगी अमीन सरकारी सेवक नहीं माने जायेगें तथा सरकारी सेवक के भांति किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगें। उजरत भोगी अमीन का सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा, बल्कि लिये जाने वाले कार्य के अनुरुप उजरत दर पर पारिश्रमिक का भुगतान होगा।

6. उजरत के आधार पर चयन का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा। चयन की सारी प्रक्रिया बन्दोवस्त स्तर पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सम्पादित की जायेगी।

22/12/14

प्रभारी-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी
खगड़िया।

14

परिशिष्ट "क"

उजरत के आधार पर अमीन पद के चयन हेतु आवेदन–पत्र

उजरत पर चयन हेतु आवेदित जिला का नाम ....

फोटो
राजपत्रित पदाधिकारी
द्वारा अभिप्रमाणित

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. जन्म तिथि ....
   (प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
4. आयु ....को..............................
5. स्थायी पता ....
   ....
   ....
6. पत्राचार का पता ....
   ....
7. शैक्षणिक योग्यता ....
   (प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. तकनिकी योग्यता ....
   (प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
9. दैनिक भोगी अमीन/उजरत भोगी अमीन के मामले में दैनिक वेतन/उजरत पर चयन करने वाले कार्यालय का नाम .... कार्यावधि ....
   (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
10. आवेदक का घोषणा पत्र :–

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उर्पयुक्त कंडिका में दी गई सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में पृथकता पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय मेरा चयन निरस्त करने का अधिकार चयन पदाधिकारी को होगा।

स्थान ....

दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर

22/12/14

समाहर्त्ता–सह–बन्दोवस्त
पदाधिकारी, खगड़िया।

ज्ञापांक ..../एस0 एस0, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सचिव–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को उक्त विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

22/12/14

समाहर्त्ता–सह–बन्दोवस्त
पदाधिकारी, खगड़िया।